

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
रेखाराम पुत्र कानाराम जाति जाट, निवासी नागडदा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)		बाबूलाल पुत्र निम्बाराम जाति जाट, निवासी दूधू तहसील गुडामालाणी, जिला बाड़मेर वगैरा (05)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53, 188)

मुकदमा नम्बर 142/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

05.11.2024

प्रार्थी/वादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 09.12.24 को पेश हो।

रजिस्टर्ड सफ
3390-3394
11.11.2024

09.12.24

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के नोटिस व डिलेक्सी रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली प्रतिवादीगण का इन्तजार होना दिनांक 12.12.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

12/12/24

पत्रावली पेश। पत्रावली वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रवेष्टनर दिनांक 09/01/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

प्रतिवादी व. 1 से 4 की ओर से ऊपरदेखी ली गई


09.1.25

पत्रावली पेश। बाबूलाल उपस्थित। पत्रावली का प्रवेष्टनर किल्ला मजला-पूठि इन्त ठाद व प्रत्येक-वाद संख्या 148/24 अंतर्गत बाबूलाल बनाम धनाराम से

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

12.12.24



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
	<p>समान खसरा नम्बर में समान अनुसूची वाहे जाने पर दोनों वाद को एक साथ कन्सोलेटेड किया जाकर सुनवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त वाद को अल वाद संख्या 140/2024 अनवान बाबुलाल वगण धनाराम के साथ कन्सोलेटेड किया जाकर हमफ्रीता किया जाता है। पत्रावली दायित्व रफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक मजिस्ट्रेट (SDO) शिव </p>

अनुसूची
हुकम
में जारी

समान
5